न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः टीना डाबी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः–13 / 2024

अपीलांट्स–अणदसिंह व अन्य बनाम रेस्पोडेन्ट्स खेतसिंह व अन्य

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम 1963</u>

आदेश

दिनांकः–22.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के विरूद्ध दिनांक 11.03.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

2. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

3. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष को मयाद के बिन्दु पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि उक्त विभाजन मे कम व ज्यादा रकबे बाबत व नक्शें में गलत तरमीम होने का ज्ञान अपीलांट्स को पूर्व में नहीं था तथा अरसा कुछ दिन पूर्व अपीलांट्स ने मौके पर कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया जाने लगा तब उतरदाता संख्या 1 से 16 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी हल्का से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने को कहा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही काबिज है तब उतरदातागण ने कहा कि मौके की स्थिति व तरमीम मे भिन्नता है। जिस पर अपीलांट्स को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट्स ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक [illegible].02.[illegible]24 को प्राप्त की। तत्पश्चात मौके के कब्जा काश्त के विपरीत [illegible] तपरता के साथ यह अपील अन्दर मयाद पेश की है फिर भी सद्भाविक रू[illegible] अज्ञानता वश हुए वि[illegible] को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त अपील पेश करने में हुऐ विलम्ब को क्षमा कर अन्दर मयाद शुमार किये जाने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:33:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नजीर 2023 (2) RRT Delhi Development Authority vs Jagan Singh & Ors.Civil Appeal No. 4335 of 2023 Date 13-07-2023 अतः उक्त अपील प्रस्तुत कर विलम्ब मे हुई देरी मे शमन–नरम व न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पक्षकारों के सारभूत अधिकार का केवल विलम्ब के आधार पर निष्फल नहीं होना चाहिए।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब में प्रकट किया कि उक्त बंटवाडा पक्षकारान द्वारा सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष राजस्व आवेदन सं. 122/2022 प्रस्तुत कर खं.नं. 563/417, 565/416 की नेखमबंदी करवायी गई जिसमें अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। अपीलांट संख्या 10 मानसिंह द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में उक्त खसरों के संबंध में धारा 6 (1) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान कृषि ऋण साख प्रार्थना–पत्र पेश कर ऋण प्राप्त किया गया एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त खसरों में पंजीबद्ध रहननामा उपपंजीयक शिव के कार्यालय आदेश दिनांक 19.07.2016 को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपीलांट संख्या 6 धापुकंवर पत्नी हडवन्तसिंह की मृत्यु उपरांत यह अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर एवं मृतक को पक्षकार संयोजित कर प्रस्तुत की गई है जो सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. हमने पक्षकारान के अधिवक्तागण को मयाद प्रार्थना–पत्र पर सुना एवं प्रकट तथ्यों का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उक्त विभाजन मे कम व ज्यादा रकबे बाबत व नक्शें में गलत तरमीम होने का ज्ञान अपीलांट्स को पूर्व में नहीं था। इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा निर्णय नजीर 2023 (2) RRT Delhi Development Authority vs Jagan Singh & Ors.Civil Appeal No. 4335 of 2023 Date 13-07-2023 अप्रस्तुत की गई है। जिसमें यह निर्धारित किया गया हैं कि विलम्ब के मे शमन में नरम व न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पक्षकारों के सारभूत अधिकार केवल विलम्ब के आधार पर निष्फल नहीं होने चाहिए। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट [illegible] द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में उक्त खसरों के संबंध में धारा 6 (1) के अधीन दिनांक [illegible].07.2016 घोषणा पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान कृषि ऋण साख प्रचलन एवं कठिनाईयां का [illegible]रण अधिनियम 1974 के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर ऋण प्राप्त किया गया एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त खसरों में पंजीबद्ध रहननामा उपपंजीयक शिव के कार्यालय आदेश दिनांक 19.07.2016 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है एवं उक्त खसरों में ऋण एवं रहननामा पंजीबद्ध स्वीकृत किया गया है। ऐसे में प्रथम तो सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 11 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत करने का अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य एवं सबुत प्रस्तुत नहीं किये गये साथ ही विभाजन हिस्सा एवं राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिति के बारे में जब ऋण प्राप्त किया तब जानकारी हो गई थी। ऐसे में अपीलांट्स द्वारा इस अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में मिथ्या कथन प्रकट किये गये हैं लिहाजा अपीलांट की यह अपील अभिलेखीय तौर पर मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता हैं तथा हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से मयाद के बिन्दु पर इसी प्रक्रम में खारिज की जाती हैं।

7. आदेश आज दिनांक 22.07.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested